पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

———————

कुम्भ मेले की जांच रिपोर्ट में रेलवे, स्थानीय प्रशासन, पुलिस व उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को जिम्मेदार बताया

लखनऊः 21 अगस्त, 2014

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, श्री राम नाईक को न्यायमूर्ति (अवकाश प्राप्त), श्री ओंकारेश्वर भट्ट ने कुम्भ मेला 2013 के दौरान इलाहाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर 10 फरवरी, 2013 को प्लेटफार्म नं0 4/6 पर घटित दुर्घटना की जांच रिपोर्ट 14 अगस्त, 2014 को प्रस्तुत की। जांच रिपोर्ट में भीड़ प्रबन्धन न कर पाने के लिये रेलवे प्रशासन के अधिकारीगण, पुलिस व स्थानीय प्रशासन के अधिकारीगण तथा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अधिकारीगण को उत्तरदायी बताया गया हैं। उल्लेखनीय है कि इस दुर्घटना में 38 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई थी तथा 47 लोग घायल हुए थे। इसकी जांच के लिये राज्य सरकार ने एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया था।

प्रदेश सरकार द्वारा जांच आयोग को चार बिन्दुओं पर अपनी जांच आख्या प्रस्तुत करने हेतु प्रकरण संदर्भित किया गया था। आयोग ने अपनी जांच में यह निष्कर्ष निकाला कि रेलवे प्रशासन द्वारा इस बात का कोई स्पष्ट पूर्वानुमान नहीं लगाया गया था कि मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर उसको कितनी बड़ी संख्या में यात्रियों को अपने गन्तव्य तक आने–जाने की व्यवस्था करनी थी। इस दिन इलाहाबाद रेलवे स्टेशन से भीड़ को विभिन्न शहरों के लिये ले जाने हेतु अपर्याप्त ट्रेने लगाई गई थी। स्टेशन से प्रत्येक आधे घण्टे पर एक 'मेला स्पेशल ट्रेन' चलाये जाने का घोषणा की गई थी परन्तु इसका पालन कदापि नहीं किया गया और ट्रेने 2 से 4 घण्टे विलम्ब से चल रही थी। कतिपय ट्रेने उन प्लेटफार्मों पर नहीं लगायी गयी जहां के लिये घोषणा की गयी थी। इससे भी यात्रियों में आपाधापी और भगदड़ की स्थिति बनी। स्टेशन पर विभिन्न दिशाओं में जाने वाली ट्रेनों के यात्रियों की भीड़ को रोकने के लिए अलग–अलग घेरे/बाड़े बनाये गये थे। ये घेरे पहले से ही भरे हुए थे। बाड़े में एकत्र की गयी भीड़ को प्लेटफार्मों तक ले जाने का

समुचित व समयबद्ध प्रबन्धन नहीं था। उस तिथि को मेला स्पेशल ट्रेनों के सुचारू संचालन के लिये मालगाड़ियों का आवागमन नहीं रोका गया।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को 6000 बसें लगाने का उत्तरदायित्व दिया गया था, जिसका निर्वाह निगम द्वारा अपेक्षानुसार नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप भीड़ का पूरा दबाव रेलवे स्टेशनों पर ही पड़ा। पुलिस व स्थानीय प्रशासन द्वारा अचानक बढ़ी हुई भीड़ के डाइवर्जन की जो व्यवस्था की गयी थी उसका सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया। रेलवे स्टेशन पर ओवर ब्रिजों पर भीड़ के आवागमन के लिए एकल दिशा मार्ग का प्रबन्धन नहीं किया गया जिससे आने–जाने वाली भीड़ में धक्का–मुक्की व भगदड़ हुई। रेलवे स्टेशन पर तीर्थ यात्रियों को उन गेटों से होकर जाने दिया गया जिनसे मनाही थी। रेलवे स्टेशन पर ओवर ब्रिज संख्या 03 को आपातकालीन परिस्थितियों में प्रयोग हेतु खोलने के लिए सुरक्षित रखा गया था, जिसे दुर्घटना के समय आपात स्थिति उत्पन्न होने पर भी तीर्थ यात्रियों के आवागमन हेतु नहीं खोला गया। उक्त कारणों से ही प्रश्नगत दुर्घटना घटित हुई जिसके लिए प्रमुख रूप से रेलवे प्रशासन के अधिकारीगण, पुलिस व स्थानीय प्रशासन के अधिकारीगण तथा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में अधिकारीगण उत्तरदायी हैं।

पूर्व न्यायमूर्ति, श्री ओंकारेश्वर भट्ट ने अपनी जांच रिपोर्ट में भविष्य में दुर्घटना की पुनरावृत्ति ने हो इसके लिये यह सुझाव दिया है कि उक्त सभी बिन्दुओं पर उल्लिखित खामियों व असावधानियों से बचा जाये और स्पेशल मेला ट्रेने इलाहाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से भविष्य में न चलाकर उसके आस–पास के स्टेशनों से चलायी जायें ताकि भीड़ एक जगह एकत्रित न हो।

राज्यपाल ने कहा है कि इस जांच रिपोर्ट की प्रति प्रदेश के मुख्यमंत्री, श्री अखिलेश यादव, केन्द्रीय गृहमंत्री, श्री राजनाथ सिंह तथा रेल मंत्री, श्री डी0वी0 सदानन्द गौड़ा को भेजी जाये। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के नासिक में आगामी कुम्भ के आयोजन को दृष्टिगत रखते हुए एक प्रति महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, श्री पृथ्वीराज चौहान को भेजी जाये ताकि उसका लाभ मिल सके।

———————

अंजुम / रा0 / राजभवन–